न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, देवली, जिला – टोंक

(पीठासीन अधिकारी भारत भूषण गोयल R.A.S. उपखण्ड अधिकारी देवली द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:– 23 / 2020 निर्णय दिनांक :–10.02.2023

उनवानी प्रार्थना पत्र

1. मुकेश कुमार पुत्र स्व. दामोदर जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. मैना कुमारी पुत्री स्व. दामोदर जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. शांति देव पत्नी स्व. दामोदर जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. सुरेश कुमार पुत्र स्व. दामोदर जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. महावीर पुत्र मोहन जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
2. प्रभु पुत्र मोहन जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
3. रमेश पुत्र मोहन जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
4. बनवारीलाल पुत्र मूलचंद जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
5. भंवरलाल पुत्र एवं रघुवीर जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
6. सीता पुत्री स्व. रघुवीर जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
7. सुमित्रा पुत्री स्व. रघुवीर जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थावला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
8. कमला देवी पत्नी स्व. रघुवीर जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
9. दुर्गालाल पुत्र कल्याण जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
10. कैलाश पुत्र जमना जाति धाकड़ उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

11. रामरतन पुत्र भंवरलाल जाति छीपा उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
12. गोपाल पुत्र भुवानीलाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
13. सत्यनारायण पुत्र भुवानीलाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
14. सूरजमल पुत्र भुवानीलाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
15. चांद बाई पुत्री भवानीलाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
16. अशोक पुत्र रामलाल जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवी जिला टोंक (राज.)
17. मधु पुत्री कैलाश जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील देवली जिला टोंक (राज.)
18. लीला देवी पत्नी कैलाश जाति ब्राह्मण उम्र बालिग निवासी थांवला तहसील वली जिला टोंक (राज.)
19. तहसीलदार देवली तहसील देवली जिला टोंक (राज.)

—अप्रार्थीगण—

—उपस्थितिः—
श्री अजीत सिंह दरसावत
श्री प्रकाश चन्द जैन
श्री विरेन्द्र जैन ।।
अधिवक्ता प्रार्थीगण

एकपक्षीय कार्यवाही विरूद्ध
अप्रार्थी संख्या 1 ता 2
श्री राकेश कुमार मीना
अप्रार्थी संख्या 4/1 ता 4/5

प्रार्थना पत्र अ0 धारा 251ए काश्तकारी अधि०

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जेकाश्त की आराजीयात हाल खाता संख्या 201 खसरा नम्बर 807 रकबा 0.15 है0 कुल किता 1 कुल रकबा 0.15 है0 वाके तनग्राम थांवला पटवार हल्का थांवला तहसील देवली जिला टोंक राजस्थान में स्थित हैं । प्रार्थीगण की उक्त वर्णित भूमि आराजी खसरा नम्बर 796 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 798 रकबा 0.17 ह0. गै.मु. रास्ता, खसरा नम्बर 802 रकबा 0.08 है0 गै. मु. बाड़ा है तथा प्रार्थीगण के पिता व पति स्व दामोदर एवं अप्रार्थीगण नं. 1 ता 11 की संयुक्त खातेदारी की भूमि खसरा नम्बर 803 रकबा 0.55 है0. खसरा नम्बर 804 रकबा 0.15 है0, खसरा नम्बर 805 रकबा 0.02 गै. मु.चाह व खसरा नम्बर

806 रकबा 0.40 है0 भूमि स्थित है। साथ ही अप्रार्थी नं. 12 की खातेदारी की भूमि ख. नं. 781 रकबा 0.80 है0 भूमि स्थित है। साथी ही अप्रार्थीगण नं. 13 व 19 की संयुक्त खातेदारी की भूमि 782 रकबा 0.29 है0 वाके तनग्राम थांवला तहसील देवली जिला टोक राजस्थान में स्थित है। प्रार्थीगण अपने पूर्वजो के समय से पेरा नं. 2 में वर्णित गै. मु. रास्ता व बाड़ा तथा खातेदारी कृषि भूमि की मेंड़ो पर बने हुए कदीमी रास्ते से होकर आते–जाते रहे है तथा काश्तकारी कार्य करते रहे है तथा प्रार्थीगण उक्त बने हुए रास्ते से अपने कृषि संसाधन व कृषि यंत्र लाते–जाते रहे है। लेकिन विधिवत् रूप से रास्ता नहीं होने के कारण प्रार्थीगण को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अप्रार्थीगण ने प्रार्थीगण की भूमि में आने–जाने वाले कदीमी रास्ते को अवरूद्ध कर दिया है। वर्तमान में काश्तकारी का समय है, इसलिए रास्ते के अभाव में प्रार्थीगण अपनी भूमि नहीं पहुंच पा रहे है तथा इस कारण प्रार्थीगण के द्वारा काश्त की फसल की रास्ते के अभाव में नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस कारण प्रार्थीगण को उक्त वर्णित भूमियो में से रास्ता दिलवाना आवश्यक है। प्रार्थीगण की आराजीयात माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित होने के कारण उक्त प्रार्थना पत्र का श्रवणाधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। प्रार्थना पत्र उचित कोर्ट फीस पर अंदर मियाद पेश है। प्रार्थी रास्त की नियमानुसार निर्धारित शुल्क जमा करवाने के लिए तैयार है। अप्रार्थी नं. 20 लेण्ड हॉल्डर होने के कारण इन्हे प्रार्थना पत्र में फोरमल पक्षकार बनाया गया है। जिनके विरूद्ध प्रार्थीगण को कोई रिलिफ नहीं चाहते है। प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि भूमि खाता संख्या 400 के सहखातेदार घीसालाल पुत्र कल्याण जाति ब्राहम्ण का स्वर्गवास हो जाने व स्व. घीसालाल के वारिसान के नाम फौती नामान्तकरण नहीं खुलने के कारण मृतक घीसालाल व उसके वारिसान को प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। अतः प्रार्थना पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण को अपनी उक्त भूमि में आने–जाने उपयोग–उपभोग करने हेतु उक्त अप्रार्थीगण की भूमि में से ट्रेक्टर, कृषि यंत्र आदि लाने ले जाने व काश्तकारी हेतु उपयोग उपभोग के लिए नियमानुसार रास्ता दिलवाने के आदेश फरमावे तथा राजस्व रिकार्ड में रास्ते का इन्द्राज किये जाने की आज्ञा फरमावे अप्रार्थीगण की तलबी जारी की गई।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व 6 ता 10 व 14 की ओर से अधिवक्ता लाजवन्ती शर्मा व अप्रार्थीगण संख्या 4 की ओर से श्री रमेश कुमार शर्मा ने वकालतनामा पेश किया। अप्रार्थीगण संख्या 5, 11 ता 14 व 15 ता 18 बावजूद तामिल अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई ।

अप्रार्थीगण संख्या 1 ता 3 व 6 ता 10 व 14 की ओर से इकबालिया जवाब पेश किया गया जो इस प्रकार है:– प्रार्थना पत्र का चरण नं. 1 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 2 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 3 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 4 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 5 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नहीं है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 6 स्वीकार है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 8 कानूनी है, जवाब की आवश्यकता नही है। प्रार्थना पत्र का चरण नं. 8 कानूनी है, जवाब की

आवश्यकता नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण के द्वारा चाहा गया रास्ता प्रार्थीगण को दे दिया जाता है तो इसमें अप्रार्थीगण नं. 1, 2, 3, 6, 7 ता 10, 14 को कोई आपत्ति नहीं है।

अप्राथीगण संख्या 4 द्वारा जवाब न देना जाहिर कर बहस के समय ही अपने बिन्दू रखने की प्रार्थना की।

अप्रार्थीगण संख्या 19 तहसीलदार द्वारा मौका रिपोर्ट पेश की गई जो इस प्रकार है:– प्रार्थी को आराजी में पहुंचने के लिए अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रार्थीगण ने ग्राम थांवला के ख0नं0 796, 798, 802, 803, 804 805, 806, 781 व 782 में से होकर रास्ता चाहा गया है जिसमें से प्रार्थीगण को ख0न0 796, 798 व 802 में से रास्ता दिया जाना उचित है। परन्तु उसके बाद ख0नं0 782 व 803 की सीमा पर कुआ खुदा हुआ है जो नक्शे में अंकित नहीं है। इस कारण ख0नं0 782 व 803 के मध्य प्रार्थीगण को रास्ता दिया जाना उचित नही है। इसके अलावा 781 व 804 के बीच ख0न0 805 ग०मु० चाह स्थित है जहां रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। अतः मौका रिपोर्ट जमाबंदी, नक्शा ट्रेस संलग्न कर श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

पत्रावली बहस में नियत की गई।

अधिवक्ता प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र के तथ्यो को दोहराते हुए कथन किया प्रार्थी को रास्ते की आवश्यकता आत्यन्तिक है। गे. मु. बाड़े से आते जाते रहे है। इसके कब्जेधारी को कोई आपति नहीं है। अतः प्रार्थी को किसी भी तरह से रास्ता दिलाये जाने की प्रार्थना की।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 श्री रमेश कुमार शर्मा ने कोई विशेष आपति पेश नहीं की और कथन किया कि गे. मु. बाड़ा व गै. मु. कुंआ से रास्ता देना विधि विरूद्ध है। अन्य नियमानुसार वैकल्पिक रास्ते हेतु प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पेश करना चाहिए।

अप्रार्थी तहसीलदार ने जवाब/रिपोर्ट को ही बहस मानने की प्रार्थना की।

पत्रावली का अवलोकन किया व अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। नक्शा ट्रेस व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन करने पर दृष्टिगत है कि तहसीलदार देवली की रिपोर्ट अनुसार ख. नं. 782 व 803 की सीमा पर कुंआ खुदा हुआ है जो नक्शे में अंकित नहीं है और ख. नं. 781 व 804 के गे. मु. चाह स्थित है जिसमें से रास्ता दिया जाना संभव नहीं है। ख. नं. 802 गे. मु. बाड़ा है जिसमें रास्ता दिया जाना भी प्रतिबन्धित होने के साथ ही से इस भूमि को खुर्द बुर्द नहीं किया जा सकता है न ही इसकी किस्म परिवर्तन किया जा सकता है। अतः तहसीलदार द्वारा अभिशंषित नहीं होने व वांछित रास्ते के मध्य में गे. मु. चाह होने से प्रार्थना पत्र अस्वीकार किया जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
देवली